पत्र सं0– 5/पी०–17/2022– 51(5)ब० /स्वा0,

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

शुद्धि पत्र

दिनांक– 08/12/25

विभागीय स्वीकृत्यादेश सं०–11(5)ब योजना, दिनांक–09.06.2025 एवं आवंटनादेश संख्या–14(5)ब दिनांक–23.06.2025 द्वारा वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य स्कीम अंतर्गत चालू योजना के रूप में राँची तंत्रिका मनोचिकित्सा एवं संबद्ध विज्ञान संस्थान, राँची हेतु कुल 25,00,00,000/– (पच्चीस करोड़) रूपये की क्रमशः स्वीकृति एवं आवंटन प्रदान की गयी है।

2. उक्त स्वीकृत्यादेश सं०–11(5)ब योजना, दिनांक–09.06.2025 में अतिरिक्त कंडिका–23 एवं आवंटनादेश संख्या–14(5)ब दिनांक–23.06.2025 में अतिरिक्त कंडिका–13 निम्नवत् सम्मिलित किया जाता है:–

"विभागीय संकल्प संख्या–566 दिनांक–09.05.2018 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2018–19 एवं आगे वर्षों के लिए राँची तंत्रिका मनोचिकित्सा एवं संबद्ध विज्ञान संस्थान (रिनपास), कॉके, राँची को आवंटित राशि से मरीजो से संबंधित राशि यथा उनके भोजन/दवा/कपड़ा इत्यादि का संधारण एवं संचालन बैंक खाता के माध्यम से तथा अन्य मदों की राशि यथा–वेतन/निर्माण/इत्यादि की राशि का व्यय पी०एल० खाता के माध्यम से किया जाएगा।"

3. उक्त स्वीकृत्यादेश एवं आवंटनादेश की शेष कंडिकाएँ यथावत रहेगी।

4. प्रस्ताव पर विभागीय मंत्री का अनुमोदन एवं आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

विश्वासभाजन,

(अजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक– 5/पी०–17/2022–51(5)ब० राँची, दिनांक: 08/12/25

प्रतिलिपिः

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड, राँची।
2. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली।
3. अभियान निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखण्ड, राँची।
4. उपायुक्त, राँची।
5. निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, झारखण्ड, राँची।
6. निदेशक, राँची तंत्रिका मनोचिकित्सा एवं संबद्ध विज्ञान संस्थान (रिनपास), राँची
7. कोषागार पदाधिकारी, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
8. माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव।
9. अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अजय कुमार सिंह)
अवर सचिव

(ललित मोहन शुक्ला)
संयुक्त सचिव

(अजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव